न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2784–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2015 पारित द्वारा तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम प्रकरण कमांक 91/अ–13/2013–14

1. नाथुलाल पिता कारूजी
2. कैलाश पिता कारूजी
3. बाबूलाल पिता कारूजी
   निवासीयान ग्राम नगरा तहसील व
   जिला रतलाम म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्यामुबाई विधवा अमराजी बागरी
2. शम्भु पिता नागूजी बागरी
3. नाथू पिता नागूजी बागरी
   निवासीयान ग्राम नगरा तहसील व
   जिला रतलाम म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 04 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम के आदेश दिनांक 27–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील रतलाम में एक आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131,132 अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम नगरा स्थित अनावेदकगण की कृषि भूमि सर्वे कमांक 667/1 रकबा 0.360 हैक्टर पर आवेदक द्वारा ग्राम नगर में आने–जाने का कदमी रास्ते पर मिटट्ी डालकर रोक दिया है, जिसे खुलवाये जाये। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को नोटिस जारी किया तथा पटवारी रिपोर्ट ग्राम नगरा से तलब की। पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व पटवारी द्वारा मौके की जांच की। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27–7–2015 के द्वारा आवेदक द्वारा मिट्टी डालकर अवरूद्ध किये गये वादोक्त रास्ते को खोले जाने का आदेश दिया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का उल्लंघन कर आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का स्थल निरीक्षण नहीं किया और अनावेदकों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बाद भी उसे रास्ते देने का आदेश देने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 02–5–2015 के स्थल पंचनामे में आवेदकगण द्वारा मौके पर बताई गई पगडंडी जो केवल इंसानों के लिये आने–जाने की उपयोगी होती है, जो कि 3 फीट से अधिक नहीं होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पगडंडी को परम्परागत रास्ता जो कम से कम 6–7 फीट चौड़ाई का बता रहे है वह मौके पर नहीं है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करते हुये गंभीर कानूनी त्रुटि की है । तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

स्थल जांच में पटवारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को भी अनदेखा किया गया जिसमें पगडंडी से आते जाते है वह अस्थाई है ऐसा उल्लेख है, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 29—6—11 निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार ने अपने आदेश में पटवारी हल्का नं0 34 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में खेत की मेड पर से पैदल परम्परागत रास्ता व बरसात का पानी निकासी की नाली होने एवं भूमि मेड पर से पुरना पैदल परम्परागत रास्ता थावर पिता स्वरूप बागरी द्वारा मिट्टी व कांटे डालकर रोकने का उल्लेख किया है। इसी आधार पर तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश में अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण रास्ते पर मिट्टी डालकर रास्ता अवरूद्ध करना पाते हुये वादोक्त रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के इस तर्क कि स्थल निरीक्षण दिनांक 02—5—2015 के स्थल पंचनामे में पगडंडी का उल्लेख किया है जो 3 फीट से अधिक नहीं होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक परम्परागत रास्ता बैलगाडी आने जाने हेतु जो कम से कम 6—7 फीट चौड़ा होना बता रहे हैं। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वर्तमान में प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित कर रास्ते को खुलवाने के आदेश दिये हैं और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। तहसीलदार ने मिट्टी डालकर अवरूद्ध किए गए वादोक्त रास्ते को खोलने का आदेश दिया है। आवेदक द्वारा तर्क में यह बताना कि तहसीलदार 8—10 फीट का रास्ता खोलने का आदेश दिया है यह तहसीलदार के आदेश से प्रकट नहीं होता है। पैदल चलने के लिए रास्ता खोलने के आदेश देने में

कोई त्रुटि नहीं गई है। 8—10 फुट का रास्ता गाडी चलाने के लिए खोले जाने का लेख अन्तरिम आदेश में नहीं है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अन्तरिम आदेश के तहत केवल पैदल चलने तथा पैदल ही सामान ले जाने के लिए रास्ता खोला जाए। 8—10 फुट का रास्ता गाड़ी चलाने के लिए नहीं खोला जाए। अन्तिम रूप से उभय पक्ष के पूर्ण साक्ष्य लेकर तथा स्थल निरीक्षण कर गुण—दोष के आधार पर प्रकरण का तीन माह में अन्तिम रूप से निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर